संख्याः–140 /XXXVIII/2017–(बायोटैक) 22/2017

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्,
हल्दी, पंतनगर, उधमसिंहनगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभागः **देहरादूनः** **दिनांकः 18 मई, 2017**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के लिए धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जै0प्रौ0/यूसीबी, हल्दी/2017/08 दिनांक 25.04.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 के कम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, पंतनगर, उधमसिंहनगर के सुसंचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्यय में लेखानुदान के माध्यम से दिनांक 31.07.2017 तक की अवधि के लिए स्वीकृत धनराशि **₹83.33 लाख (रूपये तिरासी लाख तैंतीस हजार हजार मात्र)** निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	मद	धनराशि (लाख में)
01	जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा शोध व विकास	44.00
02	विज्ञान एवं समाज	9.00
03	निदेशन व प्रशासन	30.33
	कुल योग–	**83.33**

1. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व स्वायत्तशासी के उपविधियों के अनुसार संस्था की गठित प्रबन्धकारिणी समिति में नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. यदि किसी योजना/योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है, तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उन्हीं मदों में किया जाय। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी मद में धनराशि परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति/शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जाय।

4. धनराशि का आहरण व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय तथा न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाय। यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उक्त कृत्य को वित्तीय

2–

अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

5. उक्त व्यय किये जाने से पूर्व जिन कार्यो/मदों/योजनाओं में धनराशि व्यय की जानी हो, उन कार्यो/मदों/योजनाओं में कार्य की अवधि, नियोजित कार्मिक, कार्य की अनुमानित लागत, औचित्य, कुल एवं चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के कुल लक्ष्य इत्यादि के निर्धारण उपरान्त इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कार्य/योजना के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने उपरान्त ही कार्य/योजना में व्यय सुनिश्चित किया जाय।

6. वचनबद्व मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि मे व्यय स्वीकृत ढ़ांचे के अनुसार नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों के सापेक्ष ही किया जाय। यदि संस्था के अन्तर्गत स्वीकृत ढ़ांचे के अतिरिक्त, कार्मिक किसी भी माध्यम से योजित हों अथवा नियोजित किये जाने की आवश्यकता हो, तो उन कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न भारित व्ययों का भुगतान संस्था की स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष ही वहन किया जाय।

7. बी0एम0–8 पर सम्बन्धित मदवार विवरण सहित संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आवंटित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किये गये कार्यो एवं प्रगति विवरण शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जायें तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के आयोजनागत मद में अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–60–अन्य–004 अनुसंधान तथा विकास–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–अलॉटमेन्ट आई0डी0– S1705230138

भवदीय,

(रविनाथ रमन)
सचिव

संख्या–140 (1)/XXXVIII/2017–22/2017 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव